SHRI SHATRUGHAN SINHA: Madam, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI VAYALAR RAVI: Shipping is healthy for the economy.

SHRI SHATRUGHAN SINHA: You are wonderful, Sir. I really thank all of you. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Now, Shri Rajnath Singh, hon. Minister for Agriculture, to make a statement regarding Price Policy for Kharif Crops of 2003-2004 season.

STATEMENT BY MINISTER

Price Policy for Kharif Crops of 2003-2004 Season.

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI RAJNATH SINGH): Sir, the Government has fixed the Minimum Support Prices (MSPs) for Fair Average Quality (FAQ) of Kharif Crops of 2003-2004 season. The MSP of paddy common and paddy Grade-A has been raised by Rs. 20 each as compared to the previous year and fixed at Rs. 550 and Rs. 580 per quintal respectively.

The MSPs of Jowar, Bajra, Maize and Ragi have been raised by Rs. 20 each and fixed at Rs. 505 per quintal as against Rs. 485 per quintal fixed for the previous year.

The MSP of Arhar (Tur) has been raised to Rs. 1360 per quintal as against Rs. 1320 per quintal for the previous year, thus marking an increase of Rs. 40 per quintal. Similarly, the MSPs of Moong and Urad have been raised by "Rs. 40 per quintal as compared to the previous year. The Minimum Support Price of groundnut-in-shell has been fixed at Rs. 1400 per quintal marking an increase of Rs.-45-per Quintal as compared to the last year. Similarly, the MSPs of soyabean (yellow) and soyabean (black) have

been raised by Rs.45 per quintal and fixed at Rs.930 and Rs.840 per quintal respectively.

The MSP of sunflower seed has been raised from Rs.1195 per quintal last year to Rs.1250 per quintal for the 2003-04 season, marking an increase of Rs.55 per quintal.

As compared to the last year, the MSPs of sesamum and Nigerseed have been fixed at Rs. 1485 per quintal and Rs.1155 per quintal respectively marking an increase of Rs.35 per quintal.

The MSP of cotton (F-414/H-777/J-34) and (H-4) varieties have been raised by Rs.50 per quintal as compared to the previous year.

It is expected that the increases effected in the MSPs of the kharif crops will encourage the farmers for increasing the production and productivity of the crops in the country and will also encourage the farmers in diversification of crops.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Now, Shri Moolchand Meena will seek his clarifications.

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष जी, कृषि मंत्री जी ने खरीफ की फसल के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया है। इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने किसान के हित की बात कही है। लेकिन मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि आज कृषि की लागत इतनी बढ़ गई है कि आपका यह समर्थन मूल्य भी कम होता है। आपने ज्वार, बाजरा, मक्का के बीस रूपए बढ़ाए हैं मै यह चाहता हूं कि इससे किसान की जो लागत है, वह पूरी नहीं होती है इसलिए इस समर्थन मूल्य को बीस रूपए से पचास रूपए बढ़ाए और यह भी तय करे कि सरकार इस रेट में किसान से इस पैदावार को खरीदे। हम मूल्य घोषित कर देते हैं और सरकार जब खरीदती नहीं है तो उस मूल्य को घोषित करने का कोइ मतलब नहीं रह जाता। इसलिए सरकार यह तय करे और आप यह बताएं कि ये समर्थन मूल्य जो हमने फसलों के तय किए हैं, क्या सरकार इन फसलों को खरीदेगी?

श्री राजनाथ सिंह: महोदय, मैं माननीय सदस्य की शंका का समाधान करना चाहता हूं। जो उन्होंने कहा कि कृषि लागत मूल्य इन वर्षों में बढे हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि कृषि लागत मूल्य में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि जहां तक रेट ऑफ इनफ्लेशन का प्रश्न है वह 1992-97, इन पांच वर्षों में जहां 8.7 परसेंट था, वही पर 1998-2003 में यह केवल 4.5 परसेंट रहा है। वैसे हमारी सरकार की यह कोशिश है कि कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स में कमी लाई जाए। पूरे सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि अभी-अभी

हाल ही में हमारी सरकार में यह फैसला किया है कि क्राप लोन पर जो रेट ऑफ इंट्रस्ट 14 टू 18 परसेट हुआ करता था उसको लोअर डाउन कर 9 परसेंट तक लाने का काम किया है। वैसे ही ट्रैक्टर्स तथा दूसरे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेटस पहले 14 टू 18 परसेंट रेट ऑफ इंट्रस्ट पर मिलते थे लेकिन हमारी सरकार यह मुकम्मिल व्यवस्था कर रही है कि 9 टू 11 परसेंट रेट ऑफ इंट्रस्ट पर ट्रैक्टर्स अथवा दूसरे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हमारे किसानो को प्राप्त हो सके। दूसरी शंका जो इन्होंने व्यक्त की है वह यह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइम डिक्लेयर करने के बावजूद भी यदि हमारे किसानो को मार्किट में उनके प्रोडयूस की, उनके उत्पाद की, उनके अनाज के लिए उचित कीमत नहीं मिलती है तो क्या सरकार उसे खरीदेगी या नहीं खरीदेगी? मैं इस संबंध में बताना चाहता हूं कि कुछ राज्यों में तो यह व्यवस्था है कि हम खरीद करते हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों में खरीद होती है। इस काम को फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को करना पडता है। फूड कार्पो रेशन ऑफ इंडिया अपने साम्थ्य के अनुसार जहां तक बन सकेगा वह किसानों को उचित कीमत दिलाने के लिए प्रोक्योरमेंट का काम करेगी।

SHRI M. V. RAJASEKHARAN (Karnataka): Thank you, Mr. Vice-Chairman Sir. As far as the price structure is concerned, which has been enhanced by the hon. Minister for Agriculture, I would certainly like to congratulate him. But the point is, in some of these prices, I am sure the Government has taken into consideration the running inflation rate. Now, as far as the inputs are concerned, one would always find, at any time, that the rates of inputs are going up. The Government has come forward to give some benefits. But their rates have not been reduced. Now, the benefits should have been transferred to the farmers. This is not happening.

The second point is, as far as procurement is concerned, the hon. Minister mentioned that the Food Corporation of India would come to the aid of the farmers. Now, here again, the problem is that the FCI would move slowly, with the result that the farmers would lose everything. By that time, the farmers would already have sold their produce with a distress sale. What is it that the Government is going to do to prevent this distress sale?

My last point, Sir, is that while fixing the prices, I am sure the hon. Minister has taken into consideration various other inputs, including labour. On one side, the Labour Ministry is coming forward with a Bill for giving minimum wages to the agricultural labour. Has the hon. Minister taken this into account while fixing the price?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Mr. Minister, there is only one more Member left. Would you like to give your reply after hearing him?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Hon. Mr. Wee-Chairman, Sir, I have only two small questions. One is this: the minimum support price for paddy common and paddy Grade-A has been raised by Rs. 20 per quintal each now. Sir, already there are some drought-affected areas. Some drought relief price of Rs. 20, was already given, over and above the price fixed by MSP. I would like to know from the hon. Minister whether the drought relief price would also be given separately, apart from the price fixed now, because still drought is prevalent in the whole country. In my own State, except one district, all other areas have been declared as drought-affected areas. Therefore, I wish to know whether the drought relief price, which is Rs. 20 per quintal, will be now given or not. That is the first question.

My second question is, regarding the de-centralized purchase systems of paddy, what are the norms that you have laid down for the -State Governments?

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन, मैं अपने दोनों सम्मानित माननीय सदस्यों की शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। एक तो यह प्रश्न खड़ा किया गया है कि इनपुट्स की कॉस्ट में लाख कोशिश करने के बावजूद भी कमी नहीं हो रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार रहे, हर सरकार यह चाहती है कि हमारे यहां फड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़े। कोई भी सरकार रहे, किसी भी राजनैतिक दल की रहे। इस समय तो हम लोग विशेष रूप से यह कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ड्राउट ईयर के पहले फूड ग्रेन का जितना उत्पादन हुआ था, मैं समझता हूं कि उससे पहले फूड ग्रेन का उत्पादन उतना नहीं हुआ था। इसका श्रेय मैं किसी सरकार को नहीं देना चाहता । श्रेय यदि देना है तो मैं हिन्दुस्तान के अपने किसानों को ही उसका श्रेय देना चाहता हं। जैसा मैंने पहले उत्तर दिया था कि इनपूट्स की कॉस्ट में कमी लाने के लिए ही हमने रेट ऑफ इंटरस्ट को लोअर डाउन किया है। साथ ही जैसे इरीगेशन रेट है, सिंचाई की दर है, इसे कम करना है या बढाना है, यह फैसला वहां की राज्य सरकारों को करना पड़ता है। रैवेन्यु के बारे में डिसीजन वहां की सरकार को लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी सरकार देखेगी, हम यह देखेंगे कि इनपूट्स की कॉस्ट में और कमी कैसे लाई जा सकती है। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई की गति के बारे में कहा गया है कि इसकी गति बडी धीमी है। मैं मिनिस्टर, ऑफ कन्ज्युमर अफेयर्स से कहंगा, बल्कि मैं पहले उनसे पृछंगा है कि गति धीमी है या तेज हैं क्योंकि यह मेरे विभाग के अंतर्गत नहीं आता । लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री रहते हुए, श्रीमन् , मैंने एफसीआई की भूमिका को देखा है,क्योंकि हमारे यहां धान की खरीद, राइस की खरीद इसके पहले कभी नहीं होती थी। जब मैंने मख्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद वहां धान की खरीद शुरू हुई। एफसीआई की भूमिका बहुत ही सराहनीय थी, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि एफसीआई की गति धीमी नही है। अभी इधर, इन वर्षो में साल-डेढ साल में उसकी गति क्या है, यह कह पाना हमारे लिए थोडा कठिन होगा, लेकिन उसकी गति ठीक है, यह हमारी कोशिश करेगी। अब मिनिमन सपोर्ट प्राइस के

बारे में डिसीजन करते समय कई फैक्टर्ज होते हैं जिनको ध्यान मे रखा जाता है। उनकी जानकारी में दे सकता हूं, लेकिन अधिक समय लगेगा। सीएसीपी का एक अपना कॉस्टिंग सिस्टम है। उस कास्टिंग सिस्टम के आधार पर ही एसएसपी का वह निर्धारण करती है। अब हमारे माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि यह जो एमएसपी निर्धारित हुई है तो उसमें जो ड्राइट रिलीफ दी गई थी, क्या वह उस ड्राउट रिलीफ के अतिरिक्त 550 निर्धारित किया गया है? मैं जानकारी देना चाहूंगा कि बीस रूपये की जो ड्राजट रिलीफ दी गई थी वह केवल एक वर्ष के लिए थी, वह ड्राउट इयर के लिए थी। पिछले वर्ष एमएसपी पैडी की केवल 530 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अब इस वर्ष मानूसन का मिजाज जैसा है, हम सब जानते हैं कि बहुत ही बेहतर है और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, श्रीमन्, शायद इस वर्ष देश में रेकॉर्ड उत्पादन होगा। इसलिए इस वर्ष हमारे देश के किसानों को ड्राउट रिलीफ देने की स्थिति सामने नहीं आ पाएगी।

बस मुझे इतना ही निवदेन करना है, क्योंकि श्रीमन्, केवल दो शंकाएं ही व्यक्त की गई थी। वैसे भी हम सब अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि यह जो कंवेशनल खेती हो रही है इससे भी हमारा किसान हटे, डाइवर्सीफिकेशन की तरफ बढे, ताकि किसानों को भी अधिक से अधिक लाभ हो सके। खेती को कैसे अधिक इकोनोमिकल बनाया जा सके, यह भी हमारी सरकार की कोशिश है। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): The House stands adjourned till 11.00 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at thirty-two minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 31st July, 2003.